

राजस्थान सरकार
गृह(गुप-10)विभाग

क्रमांक: प.24(15)(1)पद सृजन/विविध/अभि/23/

जयपुर दिनांक:-ई-हस्ताक्षरित

-:आदेश:-

वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा सं. 96 के क्रम में नवसृजित 08 जिलों (ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, डीग, कोटपूतली-बहारोड, खैरथल-तिजारा, बालोतरा, फलौदी एवं सलूमबर) में जिला स्तरीय कार्यालय निम्नानुसार खोले जाने की एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है:-

जिला स्तरीय कार्यालय:-उप निदेशक अभियोजन कार्यालय

क्र.स.	पदनाम	पे-लेवल	प्रति जिला कार्यालय	कुल सृजित पद (08 जिलों हेतु)
1.	उप निदेशक अभियोजन	एल-18	1	08
2.	सहायक निदेशक अभियोजन	एल-15	1	08
3.	प्रशासनिक अधिकारी	एल-12	1	08
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	एल-11	2	16
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एल-10	1	08
6.	कनिष्ठ लेखाकार	एल-10	1	08
7.	सूचना सहायक	एल-08	1	08
8.	वरिष्ठ सहायक	एल-08	2	16
9.	कनिष्ठ सहायक	एल-05	2	16
10.	सहायक कर्मचारी		02(हॉमगार्ड)	16 (हॉमगार्ड)
			12	96

- (2) विभाग उक्त नवसृजित पदों को विभागीय संगत बजट मदों में IFMS पर अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करेगा।
- (3) नव सृजित कार्यालय को विभागीय भवन उपलब्ध होने तक किराये के भवन में संचालित करने की सहमति दी जाती है।
- (4) नवसृजित किये जा रहे जिला कार्यालयों के संचालन पर होने वाले व्यय चालु वित्तीय वर्ष में विभाग के विभागीय संगत बजट मदों में उपलब्ध प्रावधान में से किए जाने की तथा यथासमय अतिरिक्त बजट प्रावधान करवाये जाने का परामर्श दिया जाता है।

उक्त आदेश माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया से अनुमोदित है एवं वित्त विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी संख्या 182500055 दिनांक 01.04.2025 के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल गुप्ता)
संयुक्त विधि परामर्शी,

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन, माननीय मुख्यमंत्री(गृह) राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग



5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
8. पुलिस आयुक्त/उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-4) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(नियम) विभाग।
11. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
12. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर.....।
13. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश..... राजस्थान।
14. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन।
15. अभियोजन निदेशालय, समस्त शाखा।
16. सूचना सहायक को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त विधि परामर्शी,